बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक ....
06/पणन (स0)–36/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– राज्य में खरीफ विपणन वर्ष, 2020–21 में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न कुल छः सहकारी समितियों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/– (पच्चीस रू०) प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए ₹15/– (पन्द्रह रू०) प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रबंधकीय अनुदान मद से ₹ 4,05,472 (चार लाख पांच हजार चार सौ बहत्तर) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

राज्य में किसानों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/–(पच्चीस) रू0 प्रति क्विन्टल (धान) की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान पैक्स/व्यापारमंडलों के माध्यम से कराते हुए पैक्स/व्यापारमंडलों को प्रतिपूर्त्ति के रूप में ₹15/– (पन्द्रह) रू0 प्रति क्विन्टल (धान) की राशि प्रदान की जाएगी तथा अवशेष ₹10/– (दस) रू0 प्रति क्विंटन की राशि मिलरों (पुराने गनी बैग के निस्तार बिन्दु) से पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा प्राप्त किया जाएगा, की स्वीकृति संसूचित की गई है।

2. इस योजना अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020–21 में पटना जिला अंतर्गत कुल छः सहकारी समितियों को गनी बैग मद में प्रतिपूर्ति अनुदान राशि का भुगतान Payee Id नही होने के कारण नहीं किया जा सका था तथा समितियों को आवंटित राशि प्रत्यार्पित कर दिया गया था।

संबंधित समितियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में गनी बैग प्रतिपूर्ति मद अंतर्गत निम्न प्रकार से राशि आवंटित करते हुए कुल **₹ 4,05,472 (चार लाख पांच हजार चार सौ बहत्तर) मात्र** की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(i) व्यापुर –83,970/–
(ii) खासपुर –53,205/–
(iii) सिगोडी–1,92,755/–
(iv)अगवानपुर–52,350/–
(V)पंडारक पश्चिमी–17,147/–
(Vi)कसहा दियारा–6,045/–
कुल रू0 4,05,472/–

3. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 की मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–107 क्रेडिट सहकारी समितियाँ को सहायता, उपशीर्ष–0106–अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विस्तृत शीर्ष– 31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष– 06, सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड-- 09–2425001070106 से विकलनीय होगी।

4. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जाएगा। निबंधक सहयोग समितियाँ द्वारा उक्त राशि का उप–आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा, जो इस राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Grants-in-Aid Bill के अन्तर्गत विपत्र के माध्यम से संबंधित कोषागार से की जायेगी। विभागीय संकल्प संख्या 3096 दिनांक 26.10.2021 में वर्णित प्रावधानानुसार अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापारमंडलों को संबंधित जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Payee Create करते हुए भुगतान किया जायेगा।

5. यह चालु योजना है।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2219 दिनांक 08.04.2020 के कंडिका–03 (II) में वर्णित निदेशों का अनुपालन किया जा चुका है।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा।

9. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. अंकेक्षण हेतु सभी अभिलेख सभी संबंधित स्तरों पर संधारित रहेगा।

12. प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जबावदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निदेश संसूचित करेंगे।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

14. उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 18 माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 05.02.2019 को मद संख्या–12 में स्वीकृति प्राप्त है।

16. इस राशि की स्वीकृति में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/पणन (स0)–36/2018 के पृष्ठ संख्या– 235/टि0 पर दिनांक 13.03.2025 को सहमति प्राप्त है।

17. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 06/पणन (स0)–36/2018 के पृष्ठ संख्या- 237/टि0 पर दिनांक 13.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 546 / पटना, दिनांक 13/03/2025
06/पणन (स0)–36/2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक (2 प्रतियों में), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना तथा कार्यवाह सहायक को 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पटना।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना समहरणालय, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।

13.03.2025

13.3.25
सरकार के अपर सचिव।